

भारतीय रेलवे /INDIAN RAILWAYS

OFFICE OF THE CHIEF MATERIAL MANAGER

रेल डिब्बा कारखाना , कपूरथला /RAIL COACH FACTORY, (KAPURTHALA)

सीमित निविदा शर्तें /LIMITED TENDER Conditions

1. वैधता /Validity : निविदाकर्ता अपने ऑफर को निविदा की खुलने की तिथि से 60 दिन तक वैध रखें।/Firms are required to keep their offer valid for 60 days from the date of tender opening.
2. कृपया अपना एक्साइज कंट्रोल कोड लिखें।/Please quote your **excise control code no.** :
3. जहां भी आवश्यकता हो निर्माणाकर्ता की दर सूची इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करें।/Price list of manufacturer wherever applicable should be submitted alongwith this tender form.
4. निविदाकर्ता अपने शीर्ष पत्र पर ही कोटेशन देने से परहेज करें।/Tenderer's should refrain from quoting on their letter head.
5. निविदाकर्ता भुगतान शर्तें भी बताएं निविदाकर्ता के संलग्न विशेष अनुदेशों के अनुसार शर्तों का विवरण/ ऐसा न होने पर प्राप्ति और स्वीकृति के उपरांत ही 100 प्रतिशत भुगतान की आम शर्तें लागू होंगी।/Tenderer's should specify the payment term. In absence of which the normal payment term of 100% payment after receipt & acceptance. will be applicable.
6. दरों का उसी इकाई में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है भरे।/Rates should be quoted in same unit as specified only.
7. जहां पर निविदाकर्ता द्वारा ईडी, एस टी और अन्य सरकारी वसुली के बारे में अलग से उल्लेख न किया गया हो और वहाँ सभी शामिल हैं का उल्लेख हो वहाँ पर tenderer's have not specifically mentioned the element of ED, ST and other government levies as extra and have quoted price 'all inclusive', the element of ED, ST & other government levies included by them in the prices should be specifically & individually mentioned. Without this information the offer may not be considered.
8. रेडिका द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त फर्मों को प्राथमिकता दी जाती है। जिस फर्म के पास ऐसा प्रमाणपत्र हो, वह इसका उल्लेख अवश्य करें।/RCF prefers firms with ISO certification, firm holding such certification should state the same.
9. FOR/गंतव्य /जैसे रेडिका/ हसैनपुर / के अलावा के लिए कोटेशन भरी हो, ऐसी फर्म का प्रस्ताव जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। / Offer of firm quoting 'FOR' other than 'DESTINATION (i.e RCF/HSQ)' is likely to be ignored.
10. फर्म जो ट्रेडर हैं, निर्माणाकर्ता का नाम, पता और उनके पत्र-शीर्ष पर प्राधिकार पत्र, निविदा के साथ प्रस्तुत करें। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का, आपूर्ति से पहले निरीक्षण एजेंसी द्वारा निर्माणाकर्ता के परिसर में निरीक्षण किया जाएगा।/Firms, who are traders, are requested to indicate name & address of manufacturer works and submit the authorisation letter on their letter head alongwith the tender. The material supplied by the traders will be inspected at their manufacturer's premises by the inspecting agency before supply.
11. सामग्री के निर्माण और परिवहन के दौरान विक्रेता द्वारा स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी लागू कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।/During the course of manufacture and transportation of the stores, vendor shall comply to all applicable legislations of local pollution control authorities and Central Pollution Control Board.
12. फेब्रिकेशन मदों के लिए, निरीक्षण एजेंसी द्वारा यह सत्यापित किया जाना आवश्यक है कि उत्पाद के निर्माण में शुद्ध धातु का प्रयोग किया जा रहा है। फर्म द्वारा निरीक्षण एजेंसी का सहयोग देना अपेक्षित है।/For all fabrication items inspecting agency is required to verify only virgin metal is used for manufacturing of product. Firm has to render required assistance to inspecting agency.
13. गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली/योजना को निरीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और फर्म द्वारा निरीक्षण एजेंसी को सहयोग देना अपेक्षित है।/Quality assurance system/plan as required should be certified by inspecting agency and firm to assist inspecting agency.
14. निविदा के साथ तकनीकी श्रमशक्ति का विवरण भी संलग्न करें और निरीक्षण एजेंसी द्वारा सामग्री को पास करने से पहले इसे प्रमाणित भी किया जाए।/Details of technical manpower is to be furnished alongwith tender and the same is to be certified by inspecting agency before passing of material.
15. क्रेता के पास यह विकल्प रहेगा कि वह समय-समय पर सरकार की नीतियों के अनुसार पब्लिक सेक्टर यूनिट और/या लघु/कुटीर उद्योग इकाइयों एवं फर्मों की ऑफर को क्रय/कीमत की प्राथमिकता दे सकता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो, बल्कि लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के प्रयास अवश्य किए जाएं।/The purchaser reserves the option to give a purchase/price preference to the offers from public sector units and/or from small scale/cottage industries units, over those

from other firms, in accordance with the policies of the government from time to time. The price preference above cannot however be taken for granted and every endeavor need to be made by them to bring down cost and achieve competitiveness.

16. निविदाकर्ता, जो उत्पादन शुल्क की रियायत दर इस उल्लेख के साथ भर रहे हैं कि उत्पादक शुल्क प्रेषण के समय लागू दर पर देय होगी, यह नोट करें कि मूल्यांकन के लिए भरी गयी दर में पूरा उत्पाद शुल्क शामिल किया जाएगा। निविदाकर्ता की वार्षिक टर्नओवर में बढ़ोतरी होने पर बढ़ा हुआ उत्पाद शुल्क उन्हें ही वहन करना पड़ेगा/Tenderer quoting a concessional rate of excise duty with a stipulation that E.D application at the time of despatch will be payable, should note that for purpose of valuation, the quoted price will be loaded with full excise in excise duty becoming payable due to increase tenderer's annual turnover will be absorbed by them.
17. जब कभी सभी या अधिकांश भाग लेने वाले निविदाओं द्वारा एक समान दर भी दी जाती है और उनके आपस में मिल जाने का कोई संदेह हो तो रेलवे को यह अधिकार है वह किसी एक या इससे अधिक निविदाकर्ताओं को बिना कोई कारण बताए छोड़कर ऑर्डर दे सकती हैं।/Whenever all or most of the participating tenderers quote equal rates and cartel formation is suspected, the Railways reserve the right to place order on one or more tenderers with exclusion of the rest without assigning any reason thereof.
18. 50 % से कम मात्रा के लिए प्रस्ताव विचारणीय नहीं माना जाएगा और उत्पादकों के आपस में मिल जाने का संदेह हो तो रेलवे को यह अधिकार है कि वह किसी भी मात्रा के लिए एक या उससे अधिक निविदाकर्ताओं को ऑर्डर दे सकती है।/Offers for quantity less than 50% of tendered quantity will be considered unresponsive and liable to be rejected in case cartel formation is suspected. Railways, however, reserve the right to order one or more tenderers any quantity.
19. जो फर्म आपस में मिलकर दर भरती हैं उन्हें यह चेतावनी दी जाती है कि उनका नाम अनुमोदित स्रोतों की सूची से निकाला जा सकता है।/ The firms who quote in cartel is warned that their names are likely to be deleted from list of approved sources.
20. रेडिका को यह अधिकार है कि वह दो या उससे अधिक फर्मों को ऑर्डर बांटकर दे सकती है।/RCF reserves the right to split the order on two or more firms.
21. रेडिका को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक और जटिल मदों का थोक और पूरी मात्रा में ऑर्डर आरडीएसओ/रेडिका के अनुमोदित स्रोतों को दे सकता है और फर्म की स्थिति संबंधी जानकारी निविदा खुलने के दिन ही ली जाएगी। फर्म की स्थिति को यदि खुलने के बाद अनुमोदित या अपग्रेड किया जाता है तो यह मान्य नहीं होगा, बल्कि निविदा का निर्णय करते समय फर्म को डाउनग्रेड करने और फर्मों की अनुमोदित सूची में से हटाने के निर्णय को माना जाएगा।/RCF reserves the right to order bulk or full quantity on approved sources of RDSO/RCF in tenders of vital and critical items and the status of the firm shall be reckoned as on date of tender opening. Fresh approvals and upgradation of status of firms done after the tender opening shall not be considered whereas downgrading and deletion from the approved panel of firms while deciding the tender shall be considered.
22. केवल निर्माता ही कोटेशन भर सकते हैं, यदि आर आई डी/एजेंट के द्वारा कोटेशन दी जाती है तो निर्माता का अनुमति पत्र सलग्न करें।/Only manufacturers should quote and if they intend to quote through RIDs/Agents, authorisation by manufacturers should be enclosed along with offers.
23. सामग्री की शुद्धता की जांच के लिए निरीक्षण आर आई डी/एजेंट के परिसर में नहीं बल्कि निर्माता के परिसर में किया जायेगा।/Inspection will only be carried out at manufacturer's premises not at RID/Agent's premises to ensure the genuineness of materials.
24. फर्मों द्वारा अनुमोदन के लिए कम से कम दो सैंपल प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें से एक जांच के दौरान नष्ट हो जाएगा और दूसरे को परिमाण संबंधी जांच कर मोहर लगाकर अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित सैंपल फर्म द्वारा अपने परिसर में प्रदर्शित कर दिया जाएगा।/Firms are required to submit minimum Two samples for approval, out of which shall be destroyed during testing and other shall be dimensionally checked, stamped as approved. The approved sample be collected back by Firm for display at his premises.
25. जब प्रेषित द्वारा पायलट सैंपल अनुमोदित कर दिया जाता है और जांच के दौरान सैंपल नष्ट हो जाते हैं तो इस सैंपल को प्रेषिती द्वारा प्रयोग किया माना जाएगा, यदि इन सैंपलों को उपयुक्त मानकर पास कर दिया गया है तो डिपो द्वारा इसके भुगतान के लिए आर-नोट जारी किया जाना चाहिए।/Whenever Pilot samples are being approved the Consignee and samples are getting destroyed during testing, such sample will be claimed to be used by consignee, in case sample has been termed as passed and found suitable. Depot should grant R-Note for the same for payment purpose.
26. पूर्तिकार द्वारा डिब्बों के कलपुजों की मदों पर फर्म का नाम /फर्म का मार्क/ और निर्माण वर्ष अंकित/उकेरना आवश्यक है ताकि आसानी से ढुंढा जा सके और ऐसा न करने पर आपूर्ति को अस्वीकार किया जा सकता है।/Suppliers are required to emboss/ingrave the name of firm (Mark of the Firm) and year of manufacture for the item of coach components for traceability and

failing to comply with above requirement the supplies liable to be rejected.

27. फैंक्स के द्वारा भेजी गई ऑफर मान्य नहीं होगी और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।/Offers through FAX are liable to be rejected.
28. निविदाकर्ता/बोली दाता द्वारा टेंडर भरते समय या अपना इन्वायस/बिल आदि जमा करते समय सामग्री की कीमत के अलावा अलग से भाड़े की राशि का उल्लेख करें अन्यथा उन्हें भाड़े पर लागू उत्पाद शुल्क की राशि देनी पड़ेगी।/Tenderers/Bidders should indicate the Freight charges separately from the price of goods, while quoting in the tender as well as submitting their invoice/bills, failing which they will be liable to pay any element of excise duty that may become applicable on freight.
29. जिस सामग्री की खरीद आरडीएसओ के द्वारा अनुमोदित स्रोतों से की जाती है उनके कच्चे माल की जांच राईट्स के द्वारा उनके प्रतिष्ठान में होगी।/ For the items required to be purchased from RDSO approved sources, the raw material would be pre-inspected by RITES at the premises of the RDSO approved firms against the specified order placed by RCF.
30. यदि सामान को रेलगाड़ी के द्वारा भेजा जा रहा है तो रेलवे प्राप्ति तिथि को सुपुर्दगी की तिथि माना जायेगा। यदि सामान को सड़क द्वारा भेजा गया हो तो consignee के द्वारा consignment note/चालान के ऊपर लिखी गई तिथि को सुपुर्दगी की तिथि माना जायेगा।/ In case of despatches by Rail, the date of Railway Receipt will be taken as the date of delivery. In case of despatches by Road, date of Receipt recorded by the consignees on the Lorry consignment Note/Challan will be taken as the date of delivery.
31. **Special Condition** - It should be noted that if a contract is placed on a higher tenderer as a result of this invitation to tender, in preference to the lowest acceptable offer, in consideration of offer of early delivery, the contractor will be liable to pay to the Government the difference between the contract rate and that of the lowest acceptable tenderer on the basis of final price, F.O.R. destination including all elements of freight, Sales Tax, Local taxes, duties and other incidentals in case of failure to complete supplies in terms of such contract within the date of delivery specified in the tender and incorporated in the contract. This is in addition and without prejudice to other rights under the terms of contract.

मैं/हम/मेरे/हमारे द्वारा भरी गई दर पर उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निविदा की चालू आईआरएस शर्तों और विशेष अनुदेशों (अनुलग्नक) के अनुसार करने को सहमत हूँ। I/we agree to supply the stores noted above at the rates quoted by me/us in accordance with the current IRS conditions of contract.

निविदा की जांच की गई: कार्या.अधी./ईचार्ज TENDER ENQUIRY CHECKED BY : OS/INCHARGE

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर **SIGNATURE OF TENDERER**

(निविदाकर्ता की मोहर) (SEAL OF TENDERER)

संपर्क व्यक्ति: CONTACT PERSON :

फोन नं. TELEPHONE NO. :

फैक्स नं. FAX NO. :

ई-मेल पता: E-MAIL ADDRESS :